ई–मेलः– fdpilibhittr@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत

पत्रांक 2488 /14-1 , पीलीभीत, दिनांक– 16/06/2022

(बनकटी रोड, पीलीभीत– 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद– पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग संख्या–62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 बांयी पटरी पर ग्राम– चरखौला, तहसील– बीसलपुर, जिला– पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या– 568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु 0.114123 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Other/31275/2018)

सन्दर्भ– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्रांक–पी– 15/81–2–2022–800(38)/2022 दिनांक– 28.03.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 2727/11–सी (FP/UP/Others/31275/2016 दिनांक– 29.03.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्लालय का पत्रांक 3935/15–1 दिनांक– 14.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में जो आपत्तियां/कमियों का उल्लेख किया गया था उनका निस्तारण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत ने अपने कार्यालय के पत्रांक 3935/15–1 दिनांक– 14.06.2022 द्वारा किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है। प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत से प्राप्त प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

Sl. No.	Observations	Compliance
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–10 में प्रस्तावित स्थल टाइगर रिजर्व की 10 किमी0 की सीमा का कथन अंकित किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ–10 में प्रस्तावित स्थल टाइगर रिजर्व की 10 किमी0 की सीमा का कथन अंकित किया गया है जोकि सही है।
2	पृष्ठ–19 के बिन्दु–ए एवं बी में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव कार्योपरान्त स्वीकृति से सम्बन्धित है।	पृष्ठ–19 के बिन्दु–ए एवं बी में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है। पुनः संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
3	प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् उल्लंघन किया गया है अथवा प्रस्तुत करने के पूर्व उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किये जाये, भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक– 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाये।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव दिनांक– 10.01.2018 को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया जबकि रेंज स्तर से दिनांक– 18.03.2018 को रेंज केस संख्या– 19/2017–18 बीसलपुर रेंज द्वारा जारी किया गया है जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक– 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है।
4	भू–स्वामित्व वाले विभाग द्वारा अनुमोदित लेआउट प्लान स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाये।	भू–स्वामित्व वाले विभाग द्वारा अनुमोदित लेआउट प्लान स्वच्छ प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

16.06

(ललित कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

[illegible]

प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को [illegible] ऑनलाइन [illegible] का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ [illegible] वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय मे विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि

(ललित कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

F:\Ankit (P.T.R.)\FD Office\Survour\Ccf letters (Petrol Pump).docx